कार्यालय अपील अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिला कलक्टर) बॉसवाड़ा (राज.)

क्रमांक :– एफ ( ) वाचक/अपील14/2020/ 571-72 दिनांक :– 18/12/20.

लोक सूचना अधिकारी
(ए.डी.एम.) बॉसवाडा

अपीलार्थी श्री पद्‌म चन्द सोगरा पिता पूनम चन्द सोगरा निवासी अगरपुरा बॉसवाडा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत् अपील प्रस्तुत कर उनके प्रार्थना–पत्र दिनांक 16–10–2020 द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण यह अपील प्रस्तुत की है। जिसके सन्दर्भ में आपके पत्रांक 40( ) ए.डी.एम/आर.टी.आई/2015/451 दिनांक 26.11.2020 से अवगत कराया गया है कि समाधान अनुभाग के पत्रांक 895 दिनांक 20.10.2020 से प्रकरण क्षैत्रिय प्रबंधक राजस संघ बॉसवाडा से सम्बन्धित होने से प्रार्थी को सीधे सूचित किया गया कि वह चाही गई सूचना सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त करे। जबकी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र नियमानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 उपधारा 3 के तहत स्थानान्तरित किया जाना था।

अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र तत्काल प्रबन्ध निदेशक, राजस संघ लिमिटेड, उदयपुर (लोक सूचना अधिकारी) को स्थानान्तरित करते हुए इस न्यायालय को सूचित करे।

(अंकित कुमार सिंह)
अपील अधिकारी
(जिला कलक्टर) बॉसवाड़ा

प्रतिलिपि –

1. श्री पद्‌म चन्द सोगरा पिता श्री पूनम चन्द सोगरा निवासी वार्ड नं.19, सेक्टर नं.8, अगरपुरा बॉसवाडा (राज.) को सूचनार्थ प्रेषित है।

अपील अधिकारी
(जिला कलक्टर) बॉसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.22 17:22:42 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner